

मे सहायता का अभाव है। अतः नियमित सुनवाई हेतु दि. 14.8.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सामान्यपत्र

14.8.18

फावणी पेशा वकील परसकार उपर वी
वार्ता पत्राव एव वरत 4.9.18 को पेश हो

5.9.18

फावणी काठ पेशा वकील परसकार उपर
वी वार्ता पत्राव एव वरत 10.9.18 को पेश हो

10.9.18

फावणी पेशा वकील परसकार उपर वी वार्ता
पत्राव एव वरत 12.10.18 को पेश हो

12.10.18

फावणी पेशा वकील परसकार उपर वी
वार्ता वरत 20.11.18 को पेश हो

20/11/18

फावणी पेशा वकील परसकार एव
प्राप्तियां उपरिखत वी वार्ता वरत
5/2/19 को पेश हो

5.2.19

पत्रावणी पेशा वकील परसकार उपर वी उभय-
पक्ष के अधिवक्तागण को बुला गया
विडान अधिवक्तागण उक्रमपरसकारान् को
कथन है, कि इन्वाड जी इकि पर परसकारों
के भरम वारणी समझोता हो गया वी
अतः एकाण वरित इकि के हुम मे

P. S. Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

मार्क एवं रिकार्ड की बसा खिती बनाये
रावन पर सौनों पसों को कापरिच नही है।
अतः सदरमात श्री हद तक ज्ञात फल
स्वीकार किया जाकर यह आदेश रिम जाते
हैं, कि पसकाट जादगत इति वार्क मास मोज्या
चन्चर की इति खर नं. 1803, 1804 कित 2
फला 3.83 है. व 1809-1810 कित 2. फला
2.21 है. नं. मार्क एवं रिकार्ड की बसा-
खिती इतवाड के निम्नाण जर्मन् बनाये
रखें।

पतावनी फौज सुमार की जाकर इत-
वाड सि. नं. 210/2017 के लाम लैकत रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायगंजमण्डी

